TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 28th August, 1997

No. JD-97/13577- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the governor of Haryana declars the area around Govt. High School at village Kherla, Distt. Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of Boundary of the controlled area around Govt. High School of village-Kherta, Distt. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 523/94 dated 19st July, 1994.

North: Starting from point 'B' i.e. the intersection point of eastern boundary of Damdam-Gurgaon road and northern boundary of Rect. No. 40 of village Behlpa thence towards east along the northern bounda of rectangle No. 40 and 41 of the Behlpa village upto the north western corner of rect. No. 42 thence towards north along the western boundary of Rect. No. 22 upto its north western corner, thence towards east along the northern boundaries of Rect. No. 22 and 21 upto the point where it meets the eastern boudnartowards north along the western boundary of Rect. No. 22 upto its north western corner, thence towards east along the northern boundaries of Rect. No. 22 and 21 upto the point where it meets the eastern boundary of village Behlpa.

East: Thence towards south along the eastern boundary of village Behlpa and village Kherla upto south eastern corner of rect. No. 25 of village Kherla.

South: Thence towards west along the western boundary of Rect. No. 25 and 26 upto the south western corner of rect. No. 26 of village Behlpa.

West: Thence towards north along the western boundary of Rect. No. 26 upto its north western corner thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 22 upto point 'C' i.e. the intersection point of southern boundary of Rect. No. 22 and Eastern bounda of Damdama-Gurgaon road, thence towards north along the Eastern boundary of the Damdama-Gurgaon road upto point 'B' i.e. the point of start.

BHASKAR CHATTERJEE

Commissioner & Secretary to Government, Haryana, Town & Country Planning Department.

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.) AUG. 28, 1997 (BHDR. 6, 1919 SAKA)

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 1997

संख्या जे0 डी0–97 / 13577– पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा–4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथा बिनिर्दिष्ट और इससे संलग्न नक्शे में दिखाए गए अनुसार गांव खेरला, जिला गुड़गांव में राजकीय उच्च विद्यालय के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात:-

अनुसूची

गांव खेरला, जिला गुड़गांव के राजकीय उच्च विद्यालय के आस-पास के अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र की अनुसूची सीमा को ड्राईंग संख्या डी० टी० पी०-(जी) 524/94 दिनांक 19 जूलाई, 1994 के साथ पढ़ा जाए:-

बिन्दू 'ख' से आरम्भ करके अर्थात दमदमा गुड़गांव सड़क की पूर्वी सीमा और गांव बेहलपा की आयत संख्या 40 की उत्तरी सीमां जहां मिलती है, इसके बाद गांव बेहलपा की आयत संख्यां 40 और 41 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ आयत संख्या 42 के उत्तरी-पश्चिमी कोने तक, इसके बाद आयत संख्या 22 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर उत्तरी-पश्चिमी कोने तक, इसके बाद आयत संख्या 22 और 21 की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ पूर्व की ओर उस बिन्दू तक जहां गांव बेहलपा की पूर्वी सीमा से मिलती है।

इसके बाद गांव बेहलपा और गांव खेरला की पूर्वी सीमा के साथ—साथ दक्षिण की ओर गांव खेरला की आयत संख्या 25 पूर्व: के दक्षिण पूर्वी कोने तक।

आयत संख्या 25 और 26 की दक्षिण सीमा के साथ—साथ पश्चिम की ओर गांव बेहलपा की आयत संख्या 26 के दक्षिणः दक्षिण-पश्चिम कोने तक।

पश्चिम:–इसमें बाद आयत संख्या 26 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ उत्तर की ओर उत्तर–पश्चिमी कोने तक इसके बाद आयत संख्या 22 की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ पश्चिम की ओर बिन्दू 'ग' तक अर्थात आयत संख्या 22 की दक्षिणी सीमा और दमदमा गुड़गांव सड़क की पूर्वी सीमा जहां मिलती है, इसके बाद दमदमा गुड़गांव सड़क की पूर्वी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दू 'ख' तक अर्थात आरम्भिक बिन्दू।

भास्कर चटर्जी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।